

डालमिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

9 फरवरी, 1994

(कुलदिप सिंह और एस. पी. भरुचा, जे. जे.)

उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड (शेयरों का अधिग्रहण) अध्यादेश 1991-भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 42 सूची iii से उत्पन्न शक्ति का प्रयोग करते हुए अध्यादेश जारी करने के लिए राज्य की क्षमता. भारत संघ की विधायी शक्ति से स्वतंत्र और अलग, जो सातवीं अनुसूची की सूची i की प्रविष्टि संख्या 52 से उद्योगों के नियंत्रण में उत्पन्न होती है।

प्रशासनिक कानून: न्यायिक पुर्नविचार- यू.पी. राज्य सीमेंट निगम (शेयरों का अधिग्रहण) अध्यादेश-अदालतों की शक्तियों को छीन लेता है या नहीं।

प्रत्यर्थी-राज्य सरकार ने अप्रैल 1990 में उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड जो भारी नुकसान में चल रहा है, का निजीकरण करने का निर्णय लिया, और पूरी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को एक संयुक्त क्षेत्र के उद्यम में बदल दिया है।

निगम के कर्मचारियों ने अपने संघों के माध्यम से उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर कीं, जिसमें निगम के निजीकरण के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई और इसे सरकारी कंपनी के रूप में बनाए रखने के लिए व्यादेश की मांग की गई। उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश द्वारा कारखाने को सौंपने के निर्णय के अंतिम कार्यान्वयन पर रोक लगा दी। इसने कुछ अंतरिम निर्देश भी दिए। इस संबंध में एक अन्य रिट याचिका भी दायर की गई थी।

इन याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान, और जब उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश काम कर रहे थे, 11 अक्टूबर, 1991 को राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड (शेयरों का अधिग्रहण) अध्यादेश, 1991 की घोषणा की, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि इसके प्रारंभ की तारीख को अपीलार्थी और उसके सहयोगियों सहित किसी भी दल द्वारा रखे गए निगम के सभी शेयर राज्य सरकार को हस्तांतरित किए जाएंगे और निहित किए जाएंगे।

अपीलार्थी ने अध्यादेश की वैधता को चुनौती दी और उच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा। इसलिए अपीलार्थी-कंपनी द्वारा यह अपील।

अपील को खारिज करते हुए, यह न्यायालय

अभीनिर्धारित: 1 इस अध्यादेश को निगम के शेयरों के अधिग्रहण के लिए बनाया गया था और न कि इसके नियंत्रण और प्रबंधन को लेने के

लिए। अपीलार्थी को न तो निगम का प्रबंधन और न ही नियंत्रण हस्तांतरित किया गया था। सरकार 51 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ निगम को नियंत्रित और प्रबंधित कर रही थी। निगम के प्रतिदिन के कार्यों को उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत अपीलार्थियों द्वारा किया जा रहा था। अपीलार्थियों को निगम के नियंत्रण और प्रबंधन को हस्तांतरित करने का प्रश्न, निगम की परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के बाद तय किया जा सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा जारी विभिन्न अंतरिम आदेशों को देखते हुए निगम का नियंत्रण और प्रबंधन न केवल सरकार के पास रहा, बल्कि निगम का दर्जा भी एक सरकारी कंपनी के रूप में बना रहा। तथ्यात्मक और कानूनी दोनों रूप से अपीलार्थी निगम के प्रबंधन में नहीं थे। (808- एफ-जी,)

2. भारत का संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 52 सूची i और प्रविष्टि 24 सूची ii जिसे उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की धारा 2 के साथ पढ़ा जाता है, सीमेंट उद्योगों के नियंत्रण के बारे में कानून बनाने के लिए राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता को छीन लेता है। हालाँकि, संपत्ति के अधिग्रहण के लिए कानून बनाने की राज्य विधानसभाओं की शक्ति स्वतंत्र और अलग है, जो संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 42 सूची iii से निकलती है। [807- एफ]

ईश्वरी खेतान शुगर मिल्स बनाम अे यू. पी. और अन्य का राज्य।  
[1980]3 एस सी आर 331 पर भरोसा किया।

3. निगम के शेयरों के अधिग्रहण के लिए अध्यादेश जारी किया गया था। संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 42 सूची iii के तहत अधिग्रहण का क्षेत्र उद्योगों (विकास और विनियम) अधिनियम द्वारा अधिकृत नहीं है, जो नियंत्रण और प्रबंधन से संबंधित है। अधिनियम के तहत संघ को दी गई शक्ति का प्रभावी रूप से प्रयोग कंपनियों के शेयरों के अधिग्रहण के बाद किया गया। अध्यादेश निगम की संपत्ति (शेयरों) के अधिग्रहण से संबंधित है और इसलिए संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 42 सूची iii के तहत आता है। (810- जी)

4. अध्यादेश उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की धारा 20 के प्रावधानों से प्रभावित नहीं होता है, जो निगम के शेयरों के अधिग्रहण के लिए अध्यादेश के रूप में लागू किया गया था। निगम का प्रबंधन और नियंत्रण राज्य सरकार के अधीन रहा, जब अध्यादेश जारी किया गया था, तो यह एक दृश्यमान कानून नहीं है। [812- एफ]

5. निगम के 49 प्रतिशत शेयरों को अपीलकर्ताओं को हस्तांतरित करने के बाद निगम को सीमेंट के उत्पादन में गिरावट का सामना करना पड़ा। सीमेंट की उपलब्धता के संबंध में बाजार की स्थिति खराब हो गई। निगम की इकाइयों में सीमेंट का उत्पादन लगभग 90 प्रतिशत तक प्रतिकूल प्रभावित हुआ था। सभी इकाइयों के कर्मचारी काम से दूर रहे। इसके परिणामस्वरूप राज्य में निर्माण कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ।

निगम की बिगड़ती स्थिति ने सरकार की वित्तीय संसाधनों को प्रभावित किया। निगम के शेयरों का अधिग्रहण करना जनहित में था। [812-जी-एच, 813-ए]

6. अध्यादेश की घोषणा शक्ति का मनमाना अभ्यास नहीं था। अध्यादेश में शेयरों के अधिग्रहण के लिए उचित मुआवजे का प्रावधान किया गया था। संपत्ति के मालिकों (अपीलकर्ताओं) को वही कीमत दी जानी थी जिस पर उन्होंने शेयर खरीदे थे। अध्यादेश को न केवल जनहित में और न सार्वजनिक उद्देश्य के लिए घोषित किया गया थाए बल्कि न्यायपूर्ण और निष्पक्ष भी था। [813-ई.]

7. अध्यादेश ने उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुर्नविचार की शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं किया। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी आदेश ने अंततः पक्षों के अधिकारों को निर्धारित नहीं किया। आदेश न तो अंतिम थे और न ही प्रारंभिक निर्णय। उन्हें प्रीलिमीनरी भी नहीं कहा जा सकता था। अध्यादेश किसी भी तरह से किसी भी आदेश के विपरीत नहीं था। अध्यादेश के तहत शेयरों का अधिग्रहण किसी भी तरह से अदालत के किसी भी आदेश को रद्द नहीं करता है। अध्यादेश ने किसी भी तरह से उच्च न्यायालय की शक्ति में हस्तक्षेप नहीं किया। [813-एफ.एच]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 441/1992

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांकित 24.1.1992 निर्णय और आदेश से 1991 के डब्ल्यू. पी. सं. 29448 पर।

जी. रामास्वामी, हरीश एन साल्वे. डॉ. शंकर घोष, एस. आर. अग्रवाल, सुश्री बीना गुप्ता, ए. टी. पात्रा और सनत जैन अपीलार्थियों की ओर से।

सोली.जे. सोराबजी, अरुण जेटली, डी. बी. सहगल, उदय ललितए सुश्री एस. बनर्जी. विश्वजीत सिंह और आर. बी. मिश्रा अपीलार्थियों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

कुलदिप सिंह, जे. 1. प्रदेश राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड (शेयरों का अधिग्रहण) अध्यादेश 1991 (अध्यादेश) की वैधता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका के माध्यम से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने 24 जनवरी, 1992 के अपने फैसले में अध्यादेश की वैधता को बरकरार रखा और रिट याचिका को खारिज कर दिया। विशेष अनुमति के माध्यम से यह अपील उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ निर्देशित की जाती है।

2. उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड (कॉपोरेशन) एक सरकारी कंपनी थी जिसमें सभी शेयरों का स्वामित्व राज्य सरकार में था। निगम चुरक, डल्ला और चुनार में स्थित तीन सीमेंट कारखानों का संचालन

कर रहा था। चूंकि वर्ष 1972 के बाद से निगम को भारी नुकसान हो रहा था, इसलिए राज्य सरकार ने अप्रैल 1990 में निगम का निजीकरण करने का निर्णय लिया। 29 अप्रैल 1990 को मंत्रिमंडल ने निगम-जो पूरी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है-को संयुक्त क्षेत्र के निगम में बदलने का निर्णय लिया। 19 मई, 1990 को उद्योग के प्रधान सचिव के कार्यालय में आयोजित एक बैठक में देश के प्रमुख सीमेंट निर्माताओं को इस निर्णय से अवगत कराया गया था। इस बैठक में 25 सीमेंट निर्माताओं ने भाग लिया। राज्य सरकार ने 11 सितंबर, 1990 को सीमेंट निर्माता के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए एक निजीकरण समिति (समिति) नियुक्त की। अक्टूबर 1990 में, राज्य सरकार ने निगम के शेयरों का मूल्यांकन करने के लिए एस. बी. बिलिमोरिया एंड कंपनी को नियुक्त किया। उक्त कंपनी ने दिसंबर 1990 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें निगम के शेयर की अंकित मूल्य रु 100 के विरुद्ध मूल्य रु 20।

3. प्रारंभ में निगम के शेयरों की खरीद के लिए सीमेंट निर्माताओं से अच्छी प्रतिक्रिया मिली लेकिन अंत में डालमिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अपीलार्थी) अकेले मैदान में रहा और अन्य सभी पीछे हट गए। समिति ने अपीलार्थी के निगम के शेयर अंकित मूल्य 100 रुपये के मुकाबले 75 रुपये प्रति शेयर में खरीदने के प्रस्ताव पर विचार किया और अंत में उसे स्वीकार कर लिया। मंत्रिमंडल ने समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी।

14 फरवरी, 1991 को राज्य सरकार और अपीलार्थी के बीच एक समझौता ज्ञापन (ज्ञापन) किया गया था। ज्ञापन में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान किया गया था कि अपीलार्थी के पास निगम के 51 प्रतिशत शेयर होंगे, यह का अधिग्रहण करेगा निगम का प्रबंधन अपनी सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों के साथ, यह 5 निदेशकों को नामित करेगा, राज्य सरकार 4 निदेशकों को नामित कर सकती है और अपीलकर्ता भी प्रबंध निदेशक के रूप में एक निदेशक रखने का हकदार होगा। 21/22 फरवरी 1991 में, अपीलार्थी को 49 प्रतिशत शेयरों के हस्तांतरण के लिए शेयर हस्तांतरण समझौते और वित्तीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 7 मार्च, 1991 को निगम के निदेशक मंडल की एक बैठक हुई जिसमें अपीलार्थी द्वारा नामित 5 निदेशक शामिल हुए, प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए थे। 12 अप्रैल 1991 को अपीलार्थी द्वारा नामित 5 निदेशकों में से एक प्रवीण कुमार को निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। ज्ञापन के अनुसार, अपीलार्थी द्वारा 51 प्रतिशत शेयरों के लिए देय रु 75 प्रति शेयर कुल राशि 26 करोड़ से थोड़ा अधिक था। उक्त राशि में से अपीलार्थी ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते समय एक करोड़ का भुगतान किया। ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के तीन महीने के भीतर और दो करोड़ रुपये का भुगतान करने पर सहमति हुई। ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के छह महीने के भीतर और दो करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना था और शेष राशि लगभग रु 20 करोड़ चौबीस महीनों के भीतर भुगतान किया जाना था। विभिन्न अन्य



पक्षों के बीच वित्तीय व्यवस्थाओं पर सहमति हुई थी लेकिन हमारे लिए इसमें जाना आवश्यक नहीं है।

4. दिनांक 11 अक्टूबर, 1991 को राज्यपाल ने अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसका जनहित में उद्देश्य निगम के शेयरों का अधिग्रहण करना था। अध्यादेश की प्रस्तावना में कहा गया है कि राज्य सरकार और डालमिया के बीच समझौता उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांकित 16 अक्टूबर, 1990 के कारण प्रभावी नहीं हो सका और इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा केवल 49 प्रतिशत शेयर डालमिया इंडस्ट्रीज को हस्तांतरित किए गए थे और इस प्रकार हस्तांतरण का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था जिससे यह समिचिन था और जनहित में था कि निगम में डालमिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों को पुनः अधिग्रहित किया गया। अध्यादेश की धारा 3 ने प्रावधान किया कि इसके प्रारंभ की तारीख को निगम की शेयर पूंजी में कंपनियों द्वारा सभी शेयर धारित किए गए थे, को राज्य सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा और निहित किया जाएगा। “ ”

परिभाषित किया गया था जिसमें डालमिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके सहयोगी शामिल थे। धारा 4 राज्य सरकार द्वारा उस पूरी राशि के भुगतान को सुनिश्चित करती है जिस पर निगम ने अपने शेयरों को कंपनियों को हस्तांतरित किया था।

5. इस स्तर पर हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिकाओं का उल्लेख कर सकते हैं अनुपात के निजीकरण में राज्य सरकार की कार्रवाई को चुनौती दी और अपीलार्थी के 51 प्रतिशत शेयरों को सील करने पर सहमति व्यक्त की।

6. निगम के कर्मचारियों ने अपनी यूनियनों के माध्यम से रिट 1990 की याचिका संख्या 26223 दायर की ने निगम के निजीकरण के सरकार के फैसले को चुनौती दी और निगम की स्थिति को एक सरकारी कंपनी के रूप में बनाए रखने के लिए एक अनिवार्यता की मांग की। दिनांक 16 अक्टूबर, 1990 पर उच्च न्यायालय ने रिट याचिका में निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किया:

“याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड के निजीकरण का निर्णय लिया है और उक्त निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

अगले आदेश तक, निगम द्वारा संचालित कारखाने को सौंपने के निर्णय का अंतिम कार्यान्वयन, रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान रोक रहेगी। हालांकि, इस बीच अन्य औपचारिकताएं भी हो सकती हैं।

7. 15 मार्च, 1991 को उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ को चर्क सीमेंट अधिकारी कल्याण समिति ने एक रिट याचिका दायर की थी। लखनऊ पीठ ने रिट याचिका को रिट याचिका संख्या 1990 की 26223 के

साथ सुनवाई के लिए इलाहाबाद पीठ को स्थानांतरित कर दिया।  
स्थानांतरित रिट याचिका को इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 1991 की  
10607 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया था।

8. 24 मई 1991 को 16 अक्टूबर, 1990 का अंतरिम आदेश (उद्धृत  
ऊपर) निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया गया था:

“रिट की सुनवाई के दौरान या इस आवेदन पर  
सुनवाई करते हुए आज हमारे समक्ष उठाए गए कई तर्कों के  
हम गुण. दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं करना चाहते हैं। इस  
स्तर पर हमारी सीमित चिंता यह है कि निगम को उचित  
लाइनों पर चलने की अनुमति दी जाए जब तक कि इन  
रिट याचिकाओं का निस्तारण नहीं होता। इसी दृष्टि से  
उपरोक्त अंतरिम आदेश के निम्नलिखित स्पष्टीकरण बनाए  
जाते हैं:

(1) कम्पनी पंजीयक, कानपुर यह सत्यापन करेगा  
कि क्या उत्तर प्रदेश सीमेंट निगम में 49 प्रतिशत शेयरों का  
हस्तांतरण डलमिया इंडस्ट्रीज या उनके नामित के पक्ष हो  
गया है, जैसा भी मामला हो, आज यानी 24.5.1991 पर।

इस तरह के सत्यापन पर, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा स्थानांतरण हुआ है, वह प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सीमेंट निगम और श्री एस. बी. गुप्ता. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता के पक्ष में जारी करेगा ।

(2) यदि प्रमाण पत्र कम्पनी के पंजीयक द्वारा जारी किया जाता है जिससे उपरोक्त खंड (1) के अनुसार शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि की जाती है, वर्तमान निदेशक मंडल को निगम के मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति दी जाती है जब तक इन रिट याचिकाओं का निस्तारण नहीं हो जाता और जोकि इन मामलों में इस न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले अन्य आदेश या निर्देश के अधीन होगी।

(3) कि निगम के कर्मचारी और अधिकारी निगम का संचालन की बेहतरी के लिए वर्तमान प्रबंधन के साथ सहयोग करेंगे। वे इसके अधीन कार्य करेंगे। हालांकि, अधिकारियों और कर्मचारियों को आज तक उनके द्वारा तैनात किए गए या उनके संबंधित स्थानों से स्थानांतरित

नहीं किया जाएगा। यदि इस तरह का कोई स्थानांतरण निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित है प्रभावी होने के लिए इस न्यायालय का पूर्व अनुमोदन उन्हें प्राप्त करना होगा।

(4) अन्य सभी मामलों में आज की यथास्थिति आगे के आदेशों को जारी बनी रहेगी।”

9. दिनांक 22 जुलाई, 1991 को रिट याचिका संख्या 1990 की 26223 और 1991 की 10607 सुनवाई के लिए अल्लाहबा की एक खंड पीठ के समक्ष तैयार हूँ। विद्वान न्यायाधीशों ने निम्नलिखित निर्देश दिए:-

“एक बार निजीकरण का निर्णय लिया गया और किसी भी निर्णय से पहले प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे, किसी ने सरकार से उम्मीद की होगी निगम की परिसंपत्तियों और देनदारियों के पूर्ण मूल्यांकन का आदेश दिया है पता लगाने के लिए कि मूल्य क्या है। संपत्ति का कोई भी उचित और विवेकपूर्ण मालिक ऐसा करेगा इससे पहले कि वह अपनी संपत्ति को बेचने के लिए रखता है। वह सबसे पहले

जिस संपत्ति को बेच रहा है, उसके मूल्य का स्वयं आकलन करें। क्योंकि केवल यही उसे प्राप्त प्रस्तावों का न्याय करने में सक्षम बनाएगा, जब तक कि यह निश्चित रूप से एक संकटग्रस्त बिक्री न हो। यह राज्य सरकार द्वारा विवेकपूर्ण स्वामी और इसलिए भी कि यह सार्वजनिक संपत्ति के न्यासी की प्रकृति दोनों के रूप में किया जाना चाहिए था। हालांकि यह आश्चर्यजनक है कि ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया था।

हालाँकि हम संतुष्ट नहीं हैं कि जिस तरह से सरकार और उसकी एजेंसियों ने इस मामले में आगे बढ़ना शुरू किया है। हमारी राय है कि रिट याचिकाओं में कोई भी अंतिम आदेश पारित करने से पहले, हमारे पास निगम की कुल संपत्ति होनी चाहिए, कम से कम अभी, एक प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध एजेंसी के माध्यम से। इस उद्देश्य के लिए हम उसी सामग्री पर वापस आते हैं जो पीसी की पहली बैठक के कार्यवृत्त में प्रकट की जाती है। श्री ए.के.पुरी के अनुसार, निगम की परिसंपत्तियों और देनदारियों का मूल्यांकन करने

के लिए पांच एजेंसियों का उल्लेख किया गया था। तदनुसार, हम दो एजेंसियों, ए.एफ.फोर्गुसन एंड कंपनी, नई दिल्ली और प्राइस वाटर हाउस एसोसिएट्स, नई दिल्ली की नियुक्ति करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे स्वतंत्र रूप से यू.पी.एस.सी.सी.एल. की परिसंपत्तियों और देनदारियों का मूल्यांकन करें और 1.2.1991 पर निगम की निवल मूल्य निर्धारित करने के लिए। दोनों एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना काम करें और अपनी रिपोर्ट अलग से जमा करें। रिपोर्ट उन पर इस आदेश की एक प्रति की सेवा के दो महीने के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।”

10. दाखिल किए गए दो विविध आवेदनों पर विचार करते हुए इलाहाबाद की एक खंड पीठ ने 21 अगस्त, 1991 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:

“..... दिनांक 16.10.1990 पर, एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक आदेश पारित किया जिसमें राज्य सरकार को निगम को किसी भी व्यक्ति को सौंपने का निर्देश

नहीं दिया गया। विचार यह था कि सी.एम.डब्ल्यू.पी. संख्या 1990 के 26223 के निपटारे तक उस दिन की यथास्थिति बनाए रखी जाए, जिसमें उक्त आदेश पारित किया गया था। इसके बावजूद, सरकार ने 49 प्रतिशत हिस्सेदारी डालमिया को हस्तांतरित करने का फैसला किया, जबकि एमओयू और जीओ के तहत 51 प्रतिशत हिस्सेदारी हस्तांतरित करने पर सहमति बनी। उस पर आधारित। हालांकि केवल 49 प्रतिशत हिस्सेदारी डालमिया को हस्तांतरित की गई थी। निगम के एक संकल्प दिनांक 7.3.1991 के द्वारा पाँच निदेशक नामित करने की उन्हें अनुमति दी गई थी। निगम के इस प्रस्ताव पर लखनऊ पीठ ने 15.3.1991 पर रोक लगा दी थी, हालांकि उक्त आदेश को बाद में 10.4.1991 पर निरस्त कर दिया गया था। वकील का कहना है कि उपरोक्त परिस्थितियों से यह निष्कर्ष निकलता है कि डालमिया ने जानबूझकर शेयर का हस्तांतरण प्राप्त करने का जोखिम उठाया और उनके पक्ष में सभी लेनदेन अपने जोखिम पर हैं, क्योंकि वे रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान किए गए हैं और दिनांकित 16.10.1990 आदेश का उल्लंघन करते हैं। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.7.1991 के आदेश में दर्ज किए गए निष्कर्ष से स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि



निगम में 51 प्रतिशत शेयर को डालमिया के पक्ष में बेचने की प्रक्रिया उचित और प्रामाणिक नहीं थी।”

“..... राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता राज्य ने उल्लेख किया कि उन्हें इस मामले में स्पष्ट निर्देश नहीं मिले हैं और इसलिए, वह कोई प्रस्तुति देने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले किसी भी आदेश का पालन करेगी।”

“..... उन निष्कर्षों का आवश्यक परिणाम नहीं है कि राज्य सरकार और डालमिया के बीच सौदे/लेन-देन को रद्द करना। मूल्यांकनकर्ताओं की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद भी मामले पर विचार किया जाना बाकी है। श्री सुधीर चंद्र ने आगे प्रस्तुत किया कि दिनांकित 24.5.1991 आदेश में निर्देश संख्या (3) (स्पष्टीकरण संख्या (3)) जैसा कि इसे कहा जाता है) निगम के उचित प्रबंधन में एक गंभीर बाधा

के रूप में कार्य कर रहा है। क्योंकि बाधा होने के बाद प्रबंधन उनके वैध और वैध आदेशों की अवज्ञा और अवज्ञा करने वाले अवज्ञाकारी अधिकारियों का स्थानांतरण करने की स्थिति में नहीं है।”

“..... हमने श्री एस. पी. गुप्ता और श्री सुधीर चंद्र दोनों को कुछ समय तक सुना है। लेकिन हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि जैसा भी निर्देश मांगा जाए, वह दिया जाना चाहिए। रिट याचिकाओं का अंतिम रूप से निपटारा नहीं किया गया है। सुनवाई होगी। मूल्यांकनकर्ताओं की रिपोर्ट दिनांक 22.7.1991 के आदेश प्राप्त होने के बाद जारी रखें। आज, हम यथास्थिति को बदलना नहीं चाहते हैं, न ही हम दोनों वकील द्वारा दिए गए कई सुझावों के सही पर उच्चारण करने का प्रस्ताव करते हैं.....”

11. अतः इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि सिविल रिट याचिका संख्या 1990 की 26223 और 1991 की 10607 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष अंतिम निर्णय के लिए लंबित थे और उच्च न्यायालय द्वारा

पारित विभिन्न अंतरिम आदेशों 11 अक्टूबर, 1991 को जब अध्यादेश जारी किया गया था, तब उक्त रिट याचिकाओं में अदालत काम कर रही थी।

12. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि उच्च न्यायालय अध्यादेश की वैधता को चुनौती देने वाली अपनी दलीलों की सराहना करने में विफल रहा। चूँकि अध्यादेश की वैधता को चुनौती देने का भाग्य मुख्य रूप से इस सवाल पर निर्भर करता है कि अध्यादेश की तारीख को निगम का नियंत्रण और प्रबंधन अपीलार्थियों के पास था या राज्य सरकार के पास, मुख्य तर्क उक्त प्रश्न पर विद्वान वकील द्वारा दिए गए थे। हालाँकि, अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने अपनी सुविधा के लिए अपनी दलीलों को इस प्रकार प्रस्तुत किया:

1. मान लीजिए कि सीमेंट पहली अनुसूची में निर्दिष्ट एक उद्योग है। उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम 1951 (अधिनियम) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची प्रविष्टि 52 सूची i प्रविष्टि 24 सूची ii अधिनियम की धारा 2 के साथ पठित की राज्य विधान-मंडल अध्यादेश की विषय-वस्तु को अधिनियमित करने की विधायी क्षमता को छीन लेती है और अतः राज्यपाल अध्यादेश जारी करने के लिए सक्षम नहीं था।

2. पीठ और सार में अध्यादेश का उद्देश्य निगम का प्रबंधन और नियंत्रण को इसे संभालना है। ऐसा होने पर, यह अधिनियम की धारा 20 के प्रावधानों से प्रभावित होता है।

3. अध्यादेश एक दृश्यमान कानून होने के कारण भारतीय संविधान के सातवीं अनुसूची के प्रविष्टि 42 सूची पप् के तहत एक विधान होना नहीं माना जा सकता।

4. मान लीजिए कि भारत के संविधान की अनुसूची सातवीं की प्रविष्टि 42 सूची पप् के तहत एक कानून है, इसे बनाए नहीं रखा जा सकता क्योंकि इसमें जनहित नहीं है।

5. अध्यादेश इस अर्थ में मनमाना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300-ए का उल्लंघन करते हुए यह अपीलकर्ता अपनी संपत्ति के लिए वंचित करता है।

6. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएँ लंबित थीं और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेश क्रियांवित थे। अध्यादेश ने न्यायिक निर्णयों में सीधे हस्तक्षेप किया और, इस तरह, उक्त आधार पर निरस्त किए जाने के योग्य था।

13. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है हमारे विचार के लिए मुख्य प्रश्न है कि क्या अध्यादेश अपीलार्थियों से निगम का नियंत्रण और प्रबंधन को संभालने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने इस सवाल का जवाब नकारात्मक दिया। अभिलेख पर दस्तावेजों पर भरोसा करते हुए और उसके द्वारा समय-समय पर पारित विभिन्न अंतरिम आदेश, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जिस दिन अध्यादेश जारी किया

गया था उस दिन अपीलार्थी निगम के प्रबंधन एवं नियंत्रण किसी प्रकार से नहीं कर रहे थे। हम इस निष्कर्ष से अलग होने का कोई आधार नहीं देखते हैं। हम संक्षेप में अपने कारण बताते हैं।

14. राज्य सरकार का निगम के निजीकरण का निर्णय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दो रिट पीटिशन अन्तर्गत भारतीय संविधान के आर्टिकल 226 के द्वारा विरोध किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 16 अक्टूबर, 1990, 24 मई, 1991, 22 जुलाई, 1991 व 21 अगस्त, 1991 पारित किए गए। हमने उक्त आदेशों के सुसंगत भाग को निर्णय के पूर्व भाग में उल्लेखित किया है। आदेशों का एक परोक्ष पठन से यह स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि न तो प्रबंधन और न ही निगम का नियंत्रण अपीलार्थियों को हस्तांतरित कर दिया गया था। 51 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सरकार निगम को नियंत्रित और प्रबंधित कर रही थी। निगम के मामलों का कार्य यदि कोई हो, उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत अपीलार्थियों द्वारा किया जा रहा था। उच्च न्यायालय ने 22 जुलाई 1991 के अपने आदेश में कहा कि निगम की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन किए बिना भी निगम के 51 प्रतिशत शेयरों को अपीलार्थियों को हस्तांतरित करने का निर्णय लेने में राज्य सरकार की कार्रवाई पर आपत्ति व्यक्त की। उच्च न्यायालय ने निगम की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए दो एजेंसियों को नियुक्त किया। अध्यादेश के लागू होने पर रिपोर्ट

का इंतजार था। निगम के नियंत्रण और प्रबंधन को अपीलार्थियों को हस्तांतरित करने का विनिश्चय निगम की संपत्तियों के, मूल्यांकन बाद ही तय किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के आदेशों इस प्रकार निर्णायक रूप से दर्शाते हैं कि अपीलार्थी निगम को नियंत्रित करने या प्रबंधित करने के करीब भी नहीं थे।

15. 14 फरवरी, 1991 के ज्ञापन के पैरा 2 और 20 इस प्रकार निम्नानुसार हैं

“2. डालमिया निगम का प्रबंधन संभालेंगे।

20. यह एम.ओ.यू. अदालत के फैसले के अधीन

है जब भी उनके खिलाफ मामले लंबित हों।”

16. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ज्ञापन जिसके आधार पर अपीलार्थी निगम के नियंत्रण और प्रबंधन को प्राप्त करने का दावा करते हैं स्वयं कहते हैं कि ज्ञापन की शर्तें लंबित मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन थीं। इसी प्रकार 22 फरवरी 1991 के वित्तीय समझौते के पैरा 1 और 15 इस प्रकार थे:

“1. यहाँ पक्षकार निगम के कार्य और व्यवसाय का संचालन जिस तरह से और उस हद तक जो इसके बाद निहित है इसमें सहयोग करने के लिए सहमत हैं।

15. जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि निगम के 51 प्रतिशत शेयर डालमिया और अन्य को बेचना जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लंबित प्रवास के कारण, अब केवल 49 प्रतिशत शेयर हस्तांतरित किए जाएंगे। शेष 2 प्रतिशत शेयर स्थगन को निरस्त होने के बाद ही हस्तांतरित किए जाएंगे हालांकि अन्य सभी औपचारिकताएं ऊपर खंड 6 के अनुसार पूरा किया जाए, अब ही।”

17. हम 23 फरवरी, 1991 के निगम के अध्यक्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त सचिव पत्र का भी उल्लेख कर सकते हैं जिसमें पैरा 3 की सामग्री निम्नानुसार है:-

“संयुक्त क्षेत्र में, राज्य सरकार और मेसर्स. डालमिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उनके द्वारा नामित साथी में शेयर पूंजी की साझेदारी 49 का अनुपात: 51 में होगा। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में एक मुकदमा पहले से ही लंबित है और न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है, इन आदेशों को ध्यान में रखते हुए केवल 49 प्रतिशत शेयर वर्तमान में स्थानांतरित किया जाए। न्याय विभाग को ध्यान में रखते हुए, यदि वर्तमान में 49 प्रतिशत शेयर हस्तांतरित किए जाते हैं तो यह माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना नहीं है, क्योंकि कंपनी की स्थिति सरकारी कंपनी की रूप में बनी रहेगी।”

18. उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न अंतरिम आदेश और ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि निगम का नियंत्रण और प्रबंधन न केवल सरकार के पास रहा, बल्कि निगम का दर्जा भी सरकार कंपनी की रूप में बना रहा। इसलिए हमें उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमत होने में कोई संकोच नहीं है कि जिस दिन अध्यादेश जारी किया गया था, उस दिन वास्तव में और साथ ही कानूनी रूप से अपीलार्थी निगम के प्रबंधन में नहीं थे।



19. इस पृष्ठभूमि के साथ हम अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत पहले तर्क पर विचार कर सकते हैं। संसद द्वारा अधिनियम को प्रविष्टि 52 सूची प् के अन्तर्गत अधिनियमित किया गया है। अधिनियम की पहली अनुसूची में मद 35 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 यह स्पष्ट करती है कि संघ ने सीमेंट-उद्योग को अपने नियंत्रण में ले लिया है। यह इस प्रकार है कि राज्य विधानमंडल भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची प्रविष्टि 24 सूची ii के तहत सीमेंट उद्योग के संबंध में कानून नहीं बना सकता है। हालाँकि, हमारे विचार के लिए सवाल यह है कि क्या अध्यादेश प्रविष्टि 24 सूची ii या प्रविष्टि 42 सूची iii के तहत जारी किया गया था। उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर विस्तार से विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अध्यादेश प्रविष्टि 42 सूची iii के तहत जारी किया गया था। हम उच्च न्यायालय से सहमत होने के इच्छुक हैं। अध्यादेश की धारा 3 में निगम की शेयर पूंजी में कंपनियों द्वारा रखे गए सभी शेयरों को राज्य सरकार को हस्तांतरित करने का प्रावधान है। अध्यादेश के प्रारंभ होने की तारीख से सभी शेयर राज्य सरकार में निहित थे। इसके प्रावधानों की सरल भाषा में अध्यादेश संपत्ति का अधिग्रहण (निगम के शेयर) से संबंधित है। यह अध्यादेश, इसलिए, प्रविष्टि 42 सूची iii अंतर्गत आता है जो "संपत्ति का अधिग्रहण और मांग" वर्णित करता है। प्रविष्टि 42 सूची iii तहत अधिग्रहण का क्षेत्र उस अधिनियम द्वारा अधिकृत नहीं है जो घोषित उद्योगों के नियंत्रण, प्रबंधन, विनियमन और विकास से

संबंधित है। अधिनियम के तहत संघ को प्रदत्त शक्ति का उपयोग कंपनियों के शेयरों के अधिग्रहण के बाद भी प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।

20. ईश्वरी खेतान शुगर मिल्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। [1980] 3 एस.सी.आर. 331 में इस न्यायालय को इसी तरह की स्थिति से निपटने का अवसर मिला चीनी उद्योग से संबंधित। अधिनियम की धारा 2 के तहत चीनी एक अनुसूचित उद्योग था। उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अधिग्रहण) अध्यादेश 1971 नामक एक अध्यादेश जारी किया गया था जिसके द्वारा चीनी उपक्रम को उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड को हस्तांतरित और निहित किया गया था। अध्यादेश की वैधता को इसी आधार पर चुनौती दी गई थी। इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा कि संपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में विधान के लिए शक्ति एक स्वतंत्र और अलग शक्ति है जोकि प्रविष्टि 43 सूची iii से प्राप्त होती है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि सार और तत्व में अध्यादेश अनुसूचित चीनी उपक्रम के अधिग्रहण के लिए था और इस तरह से यह अधिनियम के क्षेत्र पर प्रभाव नहीं डालता था।

21. इसलिए हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निष्कर्ष से सहमत हैं और अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा इस आशय से उठाए गए तर्क को अस्वीकार कर दें कि राज्य विधानमंडल के पास अध्यादेश के विषय पर कानून बनाने के लिए कोई विधायी अधिकार नहीं था और इस

प्रकार, राज्यपाल के पास इसे जारी करने की कोई शक्ति नहीं थी। हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि अध्यादेश को लागू करना की विधायी क्षमता का वैध रूप से प्रविष्टि 42 सूची iii में पता लगाया जा सकता है।

22. अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए दूसरे और तीसरे तर्क को इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए खारिज किया जाना चाहिए कि अध्यादेश की घोषणा की तारीख को निगम का नियंत्रण और प्रबंधन अपीलार्थियों के पास निहित नहीं था। अधिनियम की धारा 20 इस प्रकार है:

“इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद यह किसी भी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के लिए सक्षम नहीं होगा कि किसी भी उद्योग का नियंत्रण और प्रबंधन संभालना जो किसी भी तत्काल लागू कानून के तहत किसी भी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण को अधिकृत करता है करने के लिए”

23. इस न्यायालय ने ईश्वरी खेतान का मामला (ऊपर) में अधिनियम की धारा 20 के दायरे पर विचार किया इस प्रकार है:

“राज्य सरकार द्वारा लेने के लिए विवादित कानून लागू नहीं किया गया था। सार और तत्व में अनुसूचित उपक्रमों के अधिग्रहण के लिए अधिनियमित किया गया था। यदि घोषित उद्योग में कोई भी औद्योगिक उपक्रम के प्रबंधन या नियंत्रण को संभालने का प्रयास किया गया था तो अनुमानतः धारा 20 का प्रतिबंध इस तरह के कार्यकारी शक्ति के अभ्यास को बाधित करेगा। तथापि, यदि अनुसूचित उपक्रम के अधिग्रहण के लिए एक वैध विधान के अनुक्रम में प्रबंधन अधिग्रहित करने वाली संस्था को हस्तांतरित हो जाता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह धारा 20 का उल्लंघन होगा। किसी भी कानून के तहत जो राज्य सरकार या स्थानीय निकाय को अधिकृत करता है, किसी भी औद्योगिक उपक्रम का नियंत्रण या प्रबंधन को संभालने की कार्यकारी कार्रवाई को धारा 20 ऐसा करने का मना करता है। धारा 28 कार्यकारी शक्ति का प्रयोग को निषेध करता है लेकिन अगर एक औद्योगिक उपक्रम का अधिग्रहण की अगली कड़ी के रूप में औद्योगिक उपक्रम का प्रबंधन या नियंत्रण अधिग्रहण प्राधिकारी के प्रतिहस्तांतरित हो जाता है।

धारा 20 बिल्कुल भी आकर्षित नहीं है। धारा 20 सूची ii  
की

प्रविष्टि 24 के अलावा किसी अन्य प्रविष्टि के तहत किसी राज्य के विधायी शक्ति का प्रयोग के कानूनी अधिकार को बाधित या निषिद्ध नहीं करती है, और यदि उस विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए, अर्थात्, अधिग्रहण, प्रबंधन या नियंत्रण का अधिग्रहण के विधायी शक्ति के प्रयोग धारा 20 के अवरोध के भीतर नहीं हैं। अतएव, इस तर्क में कोई आधार नहीं है कि आक्षेपित विधान धारा 20 का उल्लंघन करता है।

24. हमारा मानना है कि अध्यादेश प्रविष्टि 42 सूची iii के तहत जारी किया गया था और प्रविष्टि 24 सूची ii के अंतर्गत नहीं। हम विद्वान वकील से सहमत नहीं हैं कि अध्यादेश एक दृश्यमान विधान है और सार और तत्व में यह प्रविष्टि 24 सूची प् के अंतर्गत आता है। इसलिए, इस संबंध में विद्वान वकील की दलीलें को हम अस्वीकार करते हैं।

25. हम अपीलार्थियों के विद्वान वकील से सहमत नहीं हैं कि अध्यादेश की घोषणा जनहित में नहीं थी। उच्च न्यायालय ने इस पहलू पर विस्तार से विचार किया है। निगम के 49 प्रतिशत शेयरों के हस्तांतरण के बाद यह पाया गया कि निगम को सीमेंट के उत्पादन में गिरावट का

सामना करना पड़ा और सीमेंट की उपलब्धता के संबंध में समग्र बाजार की स्थिति खराब हो गई। अपीलकर्ताओं को शेयर हस्तांतरित करने के फैसले के खिलाफ निगम के कर्मचारियों द्वारा किए गए कड़े विरोध के कारण डल्ला में निगम की इकाई का कार्य रूक गया। चुर्क और चुनार में सीमेंट का उत्पादन भी लगभग 90 प्रतिशत तक प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ। सभी इकाइयों के कर्मचारी काफी हद तक काम से दूर रहे। उत्पादन में भारी गिरावट के परिणामस्वरूप सीमेंट की कीमतों में काफी वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप राज्य में निर्माण कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ। निगम के कर्मचारियों ने लगातार निजीकरण का विरोध किया। जब ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए तो श्रमिकों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया और इकाइयों को लगभग पंगु बना दिया। राज्य औद्योगिक इकाइयों सहित अन्य राज्य निगमों के श्रमिक इस आंदोलन में शामिल हुए। एक समय पर घटनाओं ने इतना बुरा मोड़ ले लिया कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिसके परिणामस्वरूप नौ लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। निगम की बिगड़ती स्थिति ने सरकार के वित्तीय संसाधनों को प्रभावित किया क्योंकि विभिन्न करों के माध्यम से राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों में कमी आई थी जो निगम शेयरों के हस्तांतरण से पहले सरकार को दे रहा था। उपरोक्त पृष्ठभूमि में ही अध्यादेश की घोषणा की गई थी। हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि निगम के शेयरों का अधिग्रहण करना जनहित में था।

26. हम अपीलार्थियों के विद्वान वकील से सहमत नहीं हैं कि घोषणा राज्यपाल द्वारा शक्ति का एक मनमाना प्रयोग था। अभिलेख पर हमारे द्वारा निर्दिष्ट अभिवचन बिना किसी संदेह के यह दर्शाते हैं कि निगम के शेयरों का अधिग्रहण जनहित में था। अध्यादेश में शेयरों के अधिग्रहण के लिए उचित मुआवजे का भी प्रावधान किया गया था। अध्यादेश से प्रभावित संपत्ति के मालिकों को उन शेयरों के लिए वही कीमत दी जानी थी जिन पर उन्होंने उन्हें खरीदा था। इस प्रकार यह अध्यादेश न केवल जनहित में और सार्वजनिक उद्देश्य के लिए था बल्कि न्यायपूर्ण और निष्पक्ष भी था

27. अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुत अंतिम तर्क यह था कि उक्त अध्यादेश अवैध है क्योंकि वह उच्च न्यायालय के न्यायिक पुर्नविचार की शक्ति में हस्तक्षेप करता है। यह भी आधार प्रस्तुत किया गया था कि अध्यादेश ने समय-समय पर पारित न्यायालय के आदेशों को वस्तुतः समाप्त कर दिया। हम सहमत नहीं हैं। न्यायालय के आदेशों को परोक्ष रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट है कि वे अंतरिम प्रकृति के थे और रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान पारित किए गए थे। उपरोक्त आदेशों में से कोई भी अंततः न्यायालय के समक्ष पक्षों के अधिकारों के खनन को बाधित नहीं करता है। आदेश न तो अंतिम निर्णय थे और न ही प्रारंभिक निर्णय। उन्हें अंतर्वर्ती निर्णय भी नहीं किया जा सकता था। अन्यथा भी, अध्यादेश किसी भी तरह से उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न अंतरिम आदेशों के



विपरीत नहीं जाता है। किसी भी आदेश में उस उद्देश्य के विपरीत कोई निर्देश नहीं है जिसके लिए अध्यादेश जारी किया गया था। अध्यादेश के तहत शेरों का अधिग्रहण का किसी भी तरह से न्यायालय के किसी भी आदेश को रद्द करने का प्रभाव नहीं था। अतः हमारा विचार है कि वर्तमान मामले के तथ्यों में यह तर्क पूरी तरह से गलत धारणा है कि अध्यादेश की उद्घोषणा में न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का अतिक्रमण है

28. इसलिए हम अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाए गए किसी भी तर्क में कोई बल नहीं देखते हैं और, इस प्रकार की अपील को खारिज कर देता है। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हम पक्षों को उनकी लागत वहन करने के लिए छोड़ देते हैं।

आई.एस.जी. याचिका खारिज कर दी गई।

(यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह यादव (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।)